

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: मलेरिया / एनवीबीडीसी / 2020 / २६१

दिनांक: १५/८/२०

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राजस्थान।

विषय:- कोविड-19 के साथ-साथ अन्य मौसमी बीमारियों यथा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाईन फ्लू एवं रक्ब टायफस की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आवश्यक गतिविधियों सम्पादित करने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मौसमी बीमारियों का दौर आरम्भ हो चुका है जिसमें मौसमी बीमारियों यथा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, रक्ब टाईफस, स्वाईन फ्लू व जल जनित बीमारियों के फैलने की सम्भावनाओं को मध्यनजर रखते हुये निम्न लिखित गतिविधियां अविलम्ब संपादित करना सुनिश्चित करें:-

- ❖ कन्ट्रोल रूम की स्थापना एवं रेपिड रेस्पोन्स टीम का गठन:- जिले में 24 X 7 के लिये कन्ट्रोल रूम की स्थापना करें तथा जन सामान्य को कन्ट्रोल रूम के नम्बर उपलब्ध करवायें एवं जिला, खण्ड व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक रेपिड रेस्पोन्स टीम (आरआरटी टीम) का गठन करें तथा उनके नाम, पता, मोबाइल नम्बर जिला स्तर पर उपलब्ध करायें। आरआरटी टीम हेतु आवश्यक दवाईया, उपकरण व वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- ❖ उच्च जोखिम वाले खण्ड व क्षेत्रों की पहचान करना:- उच्च जोखिम वाले खण्ड व क्षेत्रों की पहचान करने हेतु विगत तीन वर्षों के प्रभावित क्षेत्र/मौसमी बीमारी से मृत्यु वाले क्षेत्र व एण्टोमोलोजिकल/सीरो सर्विलेंस के आधार पर जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर विशेष सतर्कता रखें।
- ❖ दवाईयों की उपलब्धता:- सभी चिकित्सा संस्थानों पर आवश्यक दवाईयों (पेरासीटामोल, क्लोरोक्विन, एजिथ्रोमार्फिसिन, डोक्सीसीर्साईक्लिन, एसीटी किट, टेमिफ्लू, क्लोरीन की गोलियां, ओआरएस, आईवी फ्लुड व अन्य आवश्यक दवाईयां आदि) की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- ❖ सर्व दल का गठन:- घर-घर सर्व कार्य हेतु अभी से दल के सदस्यों को चिन्हित करें यथा एनएम, आशा, नर्सिंग विद्यार्थियों व अन्य यथा महिला आरोग्य समिति एवं वोलंटियर्स आदि को सूचना एकत्रित करवायें व सर्व कार्य हेतु प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें एवं सर्व दलों के द्वारा एन्टीलार्वल गतिविधियां सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।
- ❖ लार्वा प्रदर्शन:- प्रत्येक चिकित्सा संस्थान व घर-घर सर्व के दौरान एमसीएचएन डे पर व अन्य स्थानों पर लार्वा प्रदर्शन के माध्यम से नागरिकों को मौसमी बीमारियों के प्रति जागरूक किया जाये।
- ❖ पल्स ओक्सीमीटर एवं क्लोरोस्कोप:- स्वाईन फ्लू के संभावित रोगी की पहचान करने हेतु पल्स ओक्सीमीटर उपयोगी है। अतः सभी चिकित्सा संस्थानों पर पल्स ओक्सीमीटर की उपयोगिता सुनिश्चित करावें एवं जल जनित रोगों से बचाव के मददेनजर पानी के नमूनों की जांच हेतु सभी चिकित्सा संस्थानों पर क्लोरोस्कोप की उपयोगिता सुनिश्चित करें।
- ❖ सर्विलेंस:- जिले में कार्यरत एण्टोमोलाजिस्ट, वीबीडी कन्सलटेन्ट, एपीडेमियोलोजिस्ट व अन्य के द्वारा हाई रिस्क क्षेत्र में वैक्टर/एण्टोमोलोजिकल/सीरो सर्विलेंस से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करते हुए इसके अनुरूप गतिविधियां संपादित करावें।
- ❖ फोगिंग:- स्थानीय निकाय (नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत) से समन्वय स्थापित करते हुए जोखिम वाले क्षेत्रों में फोगिंग कराना सुनिश्चित करें।
- ❖ एण्टीलार्वल गतिविधियाः- एण्टीलार्वल गतिविधियां हेतु आवश्यक संसाधन यथा टेमीफोस, बीटीआई, एमएलओ, गम्बुरीया व अन्य की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए नियमित रूप से एण्टीलार्वल गतिविधियां करना सुनिश्चित करायें।
- ❖ ड्राई डे:- जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए जन सामान्य द्वारा हर रविवार सूखा दिवस मनाया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त में नोटिफायबल डिजीज एक्ट का संदर्भ भी देवें।
- ❖ व्यवसायिक/शैक्षणिक स्थलों की सूचना:- जिले में संस्थावार स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, मॉल, कार्यालय व निर्माणाधीन क्षेत्र इत्यादि की सूचना का संकलन करते हुए कार्य योजना में समावेश करें।
- ❖ आउट रीच कैम्प:- अलग-अलग कार्यक्रमों एनसीडी/अरबन हेतु आयोजन किये जाने वाले कैम्प को सम्मिलित करते हुए जोखिम वाले क्षेत्रों में आउट रीच कैम्प लगाये जायें। इसी प्रकार मेडिकल मोबाइल ईकाई के माध्यम से लगाये जाने वाले कैम्पों का आयोजन भी जोखिम वाले क्षेत्रों में कराया जाये।
- ❖ स्वास्थ्य शिक्षा:- घर-घर सर्व के दौरान, एमसीएचएन डे, फीएमएसएमए, डीडीसी व अन्य एवं सार्वजनिक स्थानों पर मौसमी बीमारियों से बचाव संबंधित जानकारी प्रदान करें साथ ही आमजन को बचाव हेतु दी जाने वाली स्वास्थ्य शिक्षा में (हैण्डवाश, व्यक्तिगत सुरक्षा, लार्वा का प्रदर्शन व अन्य) समिलित करें।

- ❖ हाई रिस्क ग्रुप को संवेदनशील बनाना:- गभर्टी माहिला, छाउ बच्चे, अस्थना, ई.बी.इमर कैन्सर द ब्रैड गंभीर रोगों से ग्रसित रोगियों को ओपीडी में, एमसीएचएन दिवस, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ दिवस, एनसीडी क्लीनिक, टी.बी. क्लीनिक, कैन्सर क्लीनिक, हिमोडायलिसिस केन्द्र व अन्य तथा घर-घर सर्वे इत्यादि के माध्यम से हाई रिस्क ग्रुप को मौसमी बिमारियों विशेष तौर पर स्वाईन फ्लू के लक्षणों व उपचार की जानकारी प्रदान करें साथ ही जिले में पद स्थापित नोडल अधिकारी (एनसीडी, टी.बी., कैन्सर, आशा समन्वयक) शिशु रोग विशेषज्ञ, आरबीएचओ व आरबीएसके टीम के साथ नियमित रूप से बैठक आयोजित करते हुए उनके माध्यम से हाई रिस्क ग्रुप को सतत निगरानी में रखा जाये।
- ❖ आरबीएसके टीम:- राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम से संबंधित सदस्य, उनके कार्य क्षेत्र में आने वाले स्कूलों व आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करेंगे साथ ही जोखिम वाले व्यक्तियों को बीमारियों से बचाव के लिए संवेदनशील करेंगे।
- ❖ प्रशिक्षण कार्यक्रम:- मौसमी बिमारियों के लक्षण/उपचार/बचाव से संबंधित जानकारी प्रदान करने हेतु जिले में कार्यरत चिकित्सकों/नर्सिंग कर्मियों/प्रसाविका/आशाओं को, विडियो कॉफेसिंग/कार्यशाला/बैठक/सेक्टर बैठक इत्यादि के माध्यम से नियमित रूप से जानकारी प्रदान करे।
- ❖ अन्तर्विभागीय समन्वय:- मौसमी बिमारियों के बचाव व रोकथाम हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए अन्य विभागों से लिए जाने वाले आवश्यक सहयोग हेतु बैठक का आयोजन करते हुए उन्हें उनके उत्तरदायित्वों से अवगत करायें। महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, नगर निगम/नगर पालिका/पंचायत, पीएचईडी, पशुपालन, आर्युर्वद विभागों से समन्वय करायें।
- ❖ पृथक ओ.पी.डी.:—स्वाईन फ्लू सम्भावित आई.एल.आई. लक्षणों वाले रोगियों का अलग से ओ.पी.डी. रखावें ताकि मौसमी बीमारियों पर प्रभावी नियन्त्रण हो, साथ ही अस्पताल में मौसमी बीमारी रोगों के प्रसार पर नियन्त्रण भी रहें।
- ❖ आईडीएसपी सैल का सुदृढ़ीकरण:- जिले में कार्यरत आईडीएसपी सैल क्रियाशील बनाते हुए नियमित रूप से खण्ड स्तर से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करते हुए प्राप्त सूचनाओं को समय पर निदेशालय को अग्रेसित करना।
- ❖ आईईसी:- मौसमी बिमारियों के नियंत्रण/रोकथाम व बचाव हेतु समस्त जोखिम क्षेत्रों एवं संस्थाओं में आईईसी गतिविधियां सम्पादित करायें।
- ❖ निजी चिकित्सक:- जिले में कार्यरत निजी चिकित्सालयों/चिकित्सकों को मौसमी बिमारियों से संबंधित दिशा—निर्देश, नियम (नोटिफाइबल अधिनियम) इत्यादि की जानकारी प्रदान करते हुए पालना कराना सुनिश्चित करावे। साथ ही उनकी संस्था से भी रोगियों की सूचना नियमित रूप से प्राप्त करते हुए तुरन्त गतिविधियां कराना सुनिश्चित करें।
- ❖ जनसहयोग:- मौसमी बीमारियों की रोकथाम/नियंत्रण व बचाव में स्थानीय स्वयं सेवक, एनजीओ, एनसीसी, स्काउट गाइड, निजी चिकित्सालयों व अन्य का भी इस कार्य में सहयोग लिया जाये।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: मलेरिया/एनवीबीडीसीपी/2020/१६।
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. अति. निदेशक (ग्रा.स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जोन।
5. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा.), राजस्थान।
6. प्रभारी सर्वर रूम वास्ते ईमेल।
7. कार्यालय प्रति ॥

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर